न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 260/14

रामस्वरूप आयु 45 वर्ष आत्मज श्री सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम बालोद तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल लाल
2. रामजीवन
3. दुर्गा लाल पिसरान पन्ना लाल जाति मीणा निवासीगण टाकरवाडा की झोपडियॉ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. जानकी लाल आत्मज हरदेव जाति मीणा ।
5. कोलूराम आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासीगण टाकरवाडा की झौंपडियॉ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. कनिष्ठ अभियन्ता जरिये कार्यालय ओ.एफ.डी. उपखण्ड तृतीय के0 पाटन जिला बून्दी।
7. सहायक अभियन्ता खेत सुधार उपखण्ड – 04 के0 पाटन ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम टाकरवाडा की आराजी कुल किता 04 की रकबा 5.74 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रस्तुत वाद में नियम पेशी दिनांक 11.02.2014 को वादी उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2014 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपनी ओर से अभिभाषक को नियुक्त कर दिया था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और कहा था कि आवश्यकता होने पर सूचित कर दिया जावेगा परन्तु उनके अभिभाषक ने उन्हें कोई सूचना नही दी इसलिए उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नही की जा सकी। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब पेश करने हेतु अवसर लिया था फिर भी वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया । वादी अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद अपने स्वामित्व एवं कब्जे की कृषि भूमि को नष्ट होने से बचाने के लिए वादपत्र पेश किया था किन्तु बिना सुनवाई किये ही उक्त वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने अनावश्यक रूप से इरिगेशन विभाग के धौरे को रोक लिया है । वादी द्वारा धौरे को अवरूद्ध किया गया है और अन्य काश्तकारों को सिंचाई नहीं करने देता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2014 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा